भारत सरकार लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं.2715
वाणिज्य विभाग

दिनांक 10 मार्च,2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

एसईजेड पर कोरोना का प्रभाव

2715. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोरोना अवधि के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थापित इकाइयों को हुए नुकसान के संबंध में अंतिम आकलन किया है
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एसईजेड में स्थापित इकाइयों की सहायता के लिए कुछ उपाय किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एवं (ख): सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों द्वारा उठाई गई हानि का आकलन नहीं करती है। एसईजेड इकाइयों का दायित्व है कि उत्पादन आरंभ होने से 5 वर्षों की अवधि के लिए संचयी रूप से परिकलित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन प्राप्त करें।

(ग) एवं (घ): कोविड-19 प्रकोप के दौरान एसईजेड विकासकों/सह-विकासकों/इकाइयों की कठिनाइयों को कम करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के निम्नलिखित उपाय किए गए :

(i) विभिन्न अनुपालनों उदाहरणार्थ त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर); साफ्टेक्स फॉर्म तथा वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31.03.2020 से बढाकर 30.06.2020 कर दी गई ।
(ii) विकास आयुक्तों (डीसी) को निदेश दिया गया कि कोविड महामारी के दौरान समाप्त होने वाले अनुमोदन पत्रों (एलओए) तथा अन्य अनुपालनों का समयबद्ध ढंग से इलेक्ट्रानिक मोड के जरिए विस्तार करें। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से विस्तार देना संभव नहीं था वहां विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए कि विकासकों /सह-विकासकों/इकाइयों को विकृति की इस अवधि के दौरान ऐसी वैधता की समाप्ति के कारण किसी कठिनाई का सामना करना न पड़े तथा इस समापन तिथि का तदर्थ अंतरिम विस्तार/आस्थगन बिना किसी पूर्वाग्रह के दिनांक 30.06.2020 तक कर दिया गया।

(iii) एसईजेड में आईटी/आईटीईएस इकाइयों, के साथ गैर आईटी/आईटीईएस इकाइयों को घर से कार्य करने के लिए एसईजेड के बाहर डेस्कटॉप/लैपटॉप ले जाने की अनुमति भी दी गई । इसने लॉकडाउन के बावजूद निर्यात, विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से निर्यात, में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने के लिए सक्षम बनाया ।

(iv) मास्क, सैनिटाइजर, गाउन और अन्य सुरक्षात्मक/निवारक उत्पादों/उपकरणों जैसी अनिवार्य मदों का विनिर्माण करने के मामले में ब्रॉड-बैंडिंग के लिए विकास आयुक्तों को, अनुमोदन समिति द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अध्यधीन, अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(v) निदेश जारी किए गए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के एसईजेड में इकाइयों के पट्टा किराया में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए । केंद्र सरकार के एसईजेड में स्थित सभी इकाइयों के लिए प्रथम तिमाही के पट्टा किराया का भुगतान 31 जुलाई 2020 तक आस्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया गया कि इकाइयों को पट्टा किराया की पहली दो तिमाही की किस्तों को 1 अक्तूबर 2020 से शुरू करके छह समान किस्तों में देने की अनुमति दी जाए ।

(vi) विकास आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार/निजी एसईजेड के विकासकों को अपने क्षेत्रों में इसी तरह के राहत उपायों पर विचार करने की सलाह दें ।

(vii) सभी विकास आयुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक कार्य संस्कृति को अपनाने और इकाइयों जिसमें ड्रग्स, आवश्यक वस्तुओं आदि के विनिर्माण में लगी इकाइयॉ शामिल हैं, को आवश्यक सहायता देने और कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सुग्राही किया गया है।

****